

प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 19.09.2025

20 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, यूरिया व नौसादर के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक झंगहा के नेतृत्व में 30नि0 विनय कुमार द्वारा पुलिस टीम के साथ 1.दवन यादव व 2. रविन्द्र यादव को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब 500 ग्राम यूरिया व 200 ग्राम नौसादर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 435/2025 धारा 60 Ex Act व 274 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- 1.दवन यादव पुत्र चन्द्रभान यादव निवासी थुन्ही बाजार झंगहा जनपद गोरखपुर
2. रविन्द्र यादव पुत्र स्व0 हिरालाल यादव निवासी थुन्ही बाजार झंगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 540/18 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 307 भादसं0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 084/20 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0 व 307 भादसं0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया।
3. मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 097/20 धारा 3(1) यू0पी0 गै0 एक्ट थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया।

गिरफ्तारी की टीम-

1. जयन्त कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 विनय कुमार थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
3. कां0 अशोक कुमार यादव थाना झंगहा जनपद गोरखपुर